सं.ई-11017/2/2020-हिन्दी/डीडीडब्ल्यूएस

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(हिंदी अनुभाग)

छठा तल, अन्तोदय भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10 अगस्त, 2020

निविदा सूचना

विषय: अनुवादकों का पैनल बनाने के संबंध में।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, विभाग की वेबसाइट, अति महत्वपूर्ण समयबद्ध सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और अन्य अंग्रेजी सामग्री का भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं और विलोमत: अनुवाद करने के लिए अनुवादकों का पैनल बना रहा है।

इच्छुक व्यक्ति/एजेंसियों को अपना पूरा विवरण, अनुभव, कार्य का नमूना और अनुवाद सेवा प्रदान करने की भाषा संबंधी जानकारी 20 अगस्त, 2021 तक सहायक निदेशक (रा.भा.) को ई-मेल आईडी hindi-ddws@gov.inपर उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

पैनल बनाने की शर्तें निम्नानुसार हैं:

i. दर:- केवल 01 रुपया (एक रुपया) प्रति शब्द की दर से प्रति शब्द के लिए भुगतान किया जाएगा। शब्दों की गणना का आधार केवल अंग्रेजी भाषा का पाठ होगा। अनुवाद कार्य तत्काल आधार पर किया जाएगा तथा किसी भी हालत में अनुवाद करने के लिए 15 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा।
ii. अनुदित कार्य ए-4 कागज में मंगल फॉन्ट में टाइप करना होगा। अनुदित सामग्री की सॉफ्ट कॉपी हिंदी अनुभाग के ई-मेल hindi-ddws@gov.in पर भेजी जाए।
iii. विभाग के पास अनुदित सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार होगा।
iv. विभाग द्वारा सौंपे गए काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। एजेंसी के पैनल में शामिल हो जाने से ही वह भुगतान की हकदार नहीं होगी।
v. यदि अनुदित सामग्री की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो भुगतान में कटौती के अलावा व्यक्ति/एजेंसी को पैनल से हटाया जा सकता है।
vi. यह पैनल अपने गठन की तारीख से 03 वर्षों के लिए वैध होगा।
vii. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पास पैनल की अवधि पूरी होने से पूर्व भी व्यक्तियों/एजेंसियों को पैनल से हटाने का अधिकार होगा।

(एस.के. सिन्हा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

एनआईसी से अनुरोध है कि कृपया इस निविदा को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की वेबसाइट व सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (cppp.gov.in) पर डालने का कष्ट करें।